उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्

(उत्तराखण्ड सरकार)

महर्षि वेदव्यास संस्कृत शोधछात्रवृत्ति योजना 2026–27

नियमावली

पत्रांक 1540 /24/शोधछात्रवृत्ति/शोध/उ.सं.सं./2026–27, दिनांक 06 अक्टूबर 2026

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् द्वारा संस्कृत के प्रचार–प्रसार एवं शोधकार्य को बढ़ावा दिये जाने एवं संस्कृत शोधछात्रों के प्रोत्साहन के लिए कार्यकारिणी समिति की 40वीं बैठक दिनांक 27.07.2026 के निर्णयानुसार महर्षि वेदव्यास शोध छात्रवृत्ति दिया जाना निर्धारित है। जिस हेतु निम्नवत् नियमों का निर्धारण किया गया है–

1. महर्षि वेदव्यास शोध छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में 15 शोधछात्रों को (प्रत्येक शोधछात्र को) रु.30,000/– (रूपये तीस हजार मात्र) वार्षिक शोध छात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित है।
2. शोध छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए अभ्यर्थी/शोधछात्र को उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संस्कृत विभाग/ उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद, व्याकरण, साहित्य व ज्योतिष विभाग में आर.डी.सी.की संस्तुति के पश्चात् पंजीकृत/अध्ययनरत तथा यू.जी.सी. नेट/उत्तराखण्ड स्लेट परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
1. वार्षिक शोध छात्रवृत्ति हेतु निम्नवत् श्रेणी के अनुसार तालिका का निर्धारण किया गया–

सामान्य श्रेणी	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति	ओ.बी.सी. (NCL)	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS)	कुल शोधछात्रवृत्ति
07	04	03	01	15

2. उक्त किसी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उनके स्थान पर अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का कॉमन मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा।
3. शोधछात्रों का शोधछात्रवृत्ति के लिए चयन यू.जी.सी. नेट/उत्तराखण्ड राज्य स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा में सर्वाधिक प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।
4. शोधछात्रवृत्ति के लिए वही शोधछात्र अर्ह होगा, जो उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संस्कृत विभाग/ उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद, व्याकरण, साहित्य व ज्योतिष विभाग में आर.डी.सी.की संस्तुति के पश्चात् पंजीकृत/अध्ययनरत हो तथा यू.जी.सी. नेट/उत्तराखण्ड स्लेट परीक्षा में उत्तीर्ण हो तथा राजकीय सेवा में कार्यरत न हो तथा अन्य किसी भी संस्था (राज्य व केन्द्र सरकार) से किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं ले रहा हो।
5. उक्त के सम्बन्ध में प्रत्येक शोधछात्र को अन्य संस्था (राज्य सरकार व केन्द्र सरकार) से छात्रवृत्ति/सहायता राशि प्राप्त न करने का रु.10/– के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
6. पंजीकृत शोधछात्र को अध्ययनकाल में अधिकतम 03 बार ही शोधछात्रवृत्ति दिया जा सकता है।
7. सभी प्रकार के शोधछात्रों को आवेदन पत्र के साथ आर.डी.सी. की संस्तुति के पश्चात् पी–एच.डी. में पंजीकरण पत्र, नेट/उत्तराखण्ड स्लेट अंक पत्र व उपाधि पत्र, आधार पत्र की छायाप्रति तथा स्लेट उत्तीर्ण होने पर व अनु.जाति, अनु.जनजाति, ओ.बी.सी. (NCL) वर्ग के शोधछात्रों को आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणपत्र एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के शोधछात्रों को उक्त के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा नवीनतम प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा जन्मतिथि सत्यापन के लिए हाईस्कूल के अंकपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

8. शोधछात्र वृत्ति हेतु शोधछात्र के आवेदन पत्र को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं शोधनिर्देशक द्वारा मुहर सहित संस्तुति के पश्चात् प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए।
9. आवेदन पत्र एवं उपर्युक्त वांछित प्रपत्र संस्थानम् के शोध विभाग की ई–मेल shodh.usa@gmail.com पर जमा करने की अन्तिम तिथि 02.11.2026 रात्रि 12:00 बजे तक निर्धारित है। अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
10. शोधछात्र वृत्ति हेतु अर्ह शोधछात्रों की सूची संस्थानम् की वेवसाइट uksa.uk.gov.in पर दिनांक 05.11.2026 तक अपलोड की जायेगी।
11. संस्थानम् द्वारा शोधछात्र वृत्ति हेतु अर्ह शोधछात्रों को आमन्त्रित कर सम्मानपूर्वक निर्धारित शोध छात्रवृत्ति, प्रमाण पत्र अंगवस्त्र एवं रेलयान के आरक्षित शयनयान सामान्यश्रेणी/सामान्य वस का यात्राव्यय प्रदान किया जायेगा।
12. अर्ह शोधछात्रों को आवेदन पत्र की मूल प्रति एवं उक्त वांछित समस्त स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संस्थानम् के कार्यालय में शोधछात्र वृत्ति प्राप्ति हेतु पंजीकरण के समय जमा करना व मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान करते हुए सत्यापित कराया जाना अनिवार्य होगा तथा वांछित प्रेषित प्रमाण एवं मूल प्रमाण में असत्यता पाये जाने पर प्रतिभागी के अर्ह होने पर भी तत्काल शोधछात्र वृत्ति से वंचित किया जायेगा।
13. शोधछात्र वृत्ति योजना के अन्तर्गत ऐसे शोधछात्रों को शोधछात्रवृत्ति दिये जाने में वरीयता प्रदान की जायेगी, जो उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में शोधकार्य कर रहे हों।
14. शोधछात्रवृत्ति प्राप्ति के समय शोधछात्रों को पी–एच.डी. हेतु निर्धारित विषय/शीर्षक से सम्बन्धित 05 पृष्ठात्मक 01 शोधलेख संस्थानम् के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है। उक्त के विना शोधछात्रवृत्ति दिया जाना सम्भव नहीं होगा।
15. शोध छात्रवृत्ति योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए समन्वयक संस्थानम् के शोध अधिकारी डॉ. हरीशचन्द्र गुरुरानी की चलवाणी संख्या– 9837149064 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

6/11/26

(प्रो. विनय कुमार विद्यालंकार)
सचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्डसर्वकारः)

महर्षि वेदव्यास संस्कृत शोधछात्रवृत्ति योजना 2026–27
उत्तराखण्ड प्रदेश संस्करण (गढवाल व कुमाऊँ) में न्यूनतम पठनीय शब्दों
दिनांक 08 अक्टूबर 2026 को शासकीय दर से प्रकाशनार्थ प्रस्तुत
विज्ञापन प्रारूप

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्डसर्वकारः)

संस्कृतभवनम्, रानीपुरझालं, ज्वालापुरं, हरिद्वारम्–249407 (उत्तराखण्डः)

महर्षि वेदव्यास संस्कृत शोधछात्रवृत्ति योजना
वर्ष 2026–27

वि.सं. 06/24/शोधछात्रवृत्ति/शोध/उ.सं.सं./2026–27 दिनांक 07 अक्टूबर 2026

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्ड सरकार) द्वारा संस्कृत के प्रचार–प्रसार एवं संस्कृत में शोधछात्रों को प्रोत्साहन दिये जाने के लिए उत्तराखण्ड प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभाग में आर.डी.सी. की संस्तुति के पश्चात् पी–एच.डी हेतु पंजीकृत एवं यू.जी.सी.नेट/उत्तराखण्ड स्लेट उत्तीर्ण 15 शोधछात्रों को (प्रत्येक को रु.30,000/–रूपये तीस हजार मात्र) महर्षि वेदव्यास वार्षिक संस्कृत शोधछात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित है। प्रतिस्पर्धा संवर्धन हेतु शोधछात्रों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

उक्त के लिए नियमावली एवं आवेदन पत्र संस्थानम् की बेबसाइट uksa.uk.gov.in में अंकित हैं।

अतः इच्छुक शोधछात्र आवेदन पत्र डाउनलोड कर दिनांक 02 नवम्बर 2026 की रात्रि 12:00 बजे तक संस्थानम् की शोध विभाग की ई–मेल– shodh.usa@gmail के माध्यम से आवेदन पत्र एवं वांछित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रेषित करें। अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(प्रो. विनय कुमार विद्यालंकार)
सचिव

6/10/26

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड-संस्कृत-संस्थानम्

(उत्तराखण्डसर्वकारः)

महर्षिवेदव्यास-संस्कृतशोधच्छात्रवृत्ति-योजना, वर्ष 2026-27

कृपया अत्र नूतनं छायाचित्रं संश्लेषणीयम्

आवेदन-प्रपत्रम्

1. नाम.....(पुरुषः/महिला) जन्मतिथिः.....
2. पितुः नाम.....मातुः नाम.....
3. सम्बन्धितविभागे पी-एच.डी. पञ्जीयनसंख्या.....दिनाङ्कः.....राष्ट्रियता.....
4. पी-एच.डी. विषयः/शीर्षकम्.....
5. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयनाम.....
6. विश्वविद्यालय (येन सम्बद्धः).....
7. चलवाणी.....अणुवाक्.....
8. श्रेणी के सम्मुख चिह्नित करें ⟹

सामान्यश्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	OBS	EWS

9. शैक्षिक योग्यता-

कक्षा	अनुक्रमांक	वर्ष	संस्था/ विश्वविद्यालय	विषय	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
हाईस्कूल							
इण्टर							
शास्त्री/बी.ए.							
आचार्य/एम.ए.							
पी-एच.डी.				विषयः			
यू.जी.नेट							
यू.स्लेट							

10. पत्राचार-सङ्केतः.....
.....
11. संस्कृतविभागाध्यक्षनाम.....चलवाणीसंख्या.....
12. निर्देशकनाम.....पदनाम.....
13. चलवाणीसंख्या.....अणुवाक्.....
14. निर्देशक/विभागाध्यक्षद्वारा- **प्रमाणीक्रियते यत्**

संस्कृतविभागे पंजीकृतः शोधच्छात्रः अस्ति। अस्य शोधकार्यम्, आचरणं, व्यवहारश्च उत्कृष्टम् अस्ति। अतः संस्कृत-शोधछात्र-वृत्तिं दातुम् अहं सहर्षं संस्तुतिं करोमि।

हस्ताक्षराणि	**हस्ताक्षराणि**	**हस्ताक्षराणि**
शोधछात्रस्य	शोधनिर्देशकस्य	विभागाध्यक्षस्य
पंजीयनसंख्या	मृदुमुद्रासहितम्	मृदुमुद्रासहितम्

Scanned with OKEN Scanner